प्रेस नोट जनपद कन्नौज

दिनांक -23.05.26

थाना तालग्राम में मु0अ0सं0 103/23 में अन्तर्गत धारा- 363/376 AB/302/201भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत पंजीकृत अभियोग में माननीय न्याया0 द्वारा अभियुक्त को दोषी पाते हुये न्यायालय में अभियुक्त मुनीम उर्फ सुभाष चंद्र को आजीवन कारावास व 32,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के संबन्ध में-

(चिन्हित पॉक्सो एक्ट प्रकरण)

सादर अवगत कराना है कि अभियुक्त द्वारा अपहरण कर बलात्कार करना वह हत्या करने के सम्बन्ध में थाना तालग्राम पर मु0अ0सं0-103/23 धारा 363/376AB/302/201 भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था। कन्नौज पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा मॉनीटरिंग सेल व कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 23.05.26 को मा0 न्यायालय पॉक्सो एक्ट कन्नौज द्वारा अभियुक्त मुनीम उर्फ सुभाष चंद्र पुत्र रामपाल निवासी ग्राम बेहटा खास थाना तालग्राम जनपद कन्नौज को आजीवन कारावास व 32,000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया।